दिल्ली उच्च न्यायालय : नई दिल्ली

सिविल वाद (मूल पक्ष) 1480/2010

निर्णय तिथि 12.03.2014

मेसर्स स्वास्टिक पॉलीटेक्स प्राइवेट लिमिटेड .....वादी

द्वारा: श्री मुकेश शर्मा, अधिवक्ता

बनाम

ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी .....प्रतिवादी

द्वारा: श्री भास्कर तिवारी, अधिवक्ता।

कोरम:

माननीय न्यायमूर्ति श्री जी.एस. सिस्तानी

<u>न्या. जी.एस. सिस्तानी,</u> (मौखिक)

1. वादी ने 1,24,11,770/- रुपए की वसूली के लिए वर्तमान वाद दायर किया है। इस मामले में 09.10.2013 को मुद्दे तय किए गए। मुद्दा सं. 2, जिसे प्रारंभिक मुद्दा माना जाना है, निम्नानुसार हैः-

> "(ii) क्या इस न्यायालय के पास वर्तमान वाद पर विचार करने का प्रादेशिक क्षेत्राधिकार है? **ओपीपी"**

2. मुद्दा सं. 2 के निपटान के लिए ध्यान देने योग्य आवश्यक तथ्य यह है कि वादी एक कंपनी है, जो उदयपुर में अपना व्यवसाय चला रही है। वादी कंपनी ने उदयपुर से स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर से ऋण प्राप्त किया था तथा बैंक ने वादी के व्यवसाय को चलाने के लिए वित्त पोषण किया था। वादी ने प्रतिवादी से फैक्ट्री भवन, प्लांट मशीनरी, इलेक्ट्रॉनिक तथा अन्य प्रतिष्ठानों का 60 लाख रुपए की राशि का बीमा अग्नि पॉलिसी सं. 827/1999 के तहत 08.11.1998 से 07.11.1999 की अवधि के लिए कराया था तथा कच्चे माल, तैयार माल, प्रक्रियाधीन स्टॉक तथा पैकिंग सामग्री का 15 लाख रुपए की राशि का बीमा पॉलिसी सं. 938/1999 के तहत 30.01.1999 से 29.01.2000 की अवधि के लिए कराया था। वादी की फैक्ट्री में दिनांक 24.10.1999 को भीषण आग लग गई थी, जिसमें फैक्ट्री की लगभग पूरी बिल्डिंग, प्लांट की मशीनरी, इंस्टालेशन, कच्चा माल और तैयार माल जलकर राख हो गया था, जिससे वादी को भारी नुकसान हुआ था। स्थानीय पुलिस को दिनांक 20.10.1999 को मामले की सूचना दी गई थी। वादी ने प्रतिवादी को दिनांक 26.10.1999 को नुकसान की जानकारी दी थी। बीमा दावा प्रतिवादी के उदयपुर स्थित शाखा कार्यालय में प्रस्तुत किया गया था, जिसे अंततः प्रतिवादी ने खारिज कर दिया था। इसके परिणामस्वरूप वर्तमान वाद दायर किया गया है।

3. प्रतिवादी के अनुसार, इस न्यायालय के प्रादेशिक क्षेत्राधिकार में वाद का कोई भी कारण उत्पन्न नहीं हुआ है। यह तर्क दिया गया है कि वादी की फैक्ट्री उदयपुर में स्थित है। बैंक के कहने पर उदयपुर से ऋण स्वीकृत किया गया था। बीमा पॉलिसी प्रतिवादी के उदयपुर कार्यालय से प्राप्त की गई थी। बैंक द्वारा प्रीमियम का भुगतान उदयपुर से प्रतिवादी के उदयपुर स्थित शाखा कार्यालय में किया गया था। दुर्घटना उदयपुर में हुई थी तथा प्रतिवादी के उदयपुर कार्यालय द्वारा वादी के दावे को खारिज कर दिया गया था।

4. इसके विपरीत, वादी के विद्वान अधिवक्ता ने यह तर्क देने के लिए कड़ी मेहनत की है कि अस्वीकृति पत्र सर्वेक्षक की राय पर आधारित है, जिसे नई दिल्ली में नियुक्त किया गया था और दावे को रद्द करना और अस्वीकार करना प्रधान कार्यालय की राय पर आधारित है और प्रधान कार्यालय द्वारा जारी किया गया है। वादी को संबोधित दिनांक 03.10.2000 के एक पत्र पर भी भरोसा जताया गया है, जिसमें प्रधान कार्यालय को प्रस्तुत किए जाने वाले दावे का उल्लेख है। 13.02.2000 के पत्र पर भी भरोसा किया गया है, जिसमें दिखाया गया है कि मामले में दिल्ली से एक सर्वेक्षक नियुक्त किया गया था। 18.09.2001 के सूचना पर भी भरोसा किया गया है, जिसमें इस तथ्य का उल्लेख है कि सक्षम प्राधिकारी ने दावे को अस्वीकार कर दिया है, यह दिखाने के लिए

कि सक्षम प्राधिकारी नई दिल्ली में स्थित है। यह दिखाने के लिए कि निगम को अपने एकमात्र या मुख्य कार्यालय में व्यवसाय करने वाला माना जाएगा और प्रतिवादी का मुख्यालय दिल्ली में होने के कारण, यह तर्क दिया जाता है कि इस न्यायालय के पास इस मामले में प्रादेशिक क्षेत्राधिकार होगा, सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 20 के स्पष्टीकरण पर भी भरोसा किया गया है।

5. मैंने पक्षकारगण के अधिवक्तागण की बात सुनी है और उनके प्रतिद्वंद्वी प्रस्तुतियों पर विचार किया है। वादी के अधिवक्ता ने सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 20 पर भरोसा किया है, जो इस प्रकार है:

> **"20. अन्य वाद जहां प्रतिवादीगण निवास करते हैं या कार्रवाई का कारण उत्पन्न होता है, वहां संस्थित किए जाएंगे।-**
>
> पूर्वोक्त सीमाओं के अधीन, प्रत्येक वाद ऐसे न्यायालय में संस्थित किया जाएगा, जिसके क्षेत्राधिकार की स्थानीय सीमाओं के भीतर-
>
> (क) प्रतिवादी, या प्रतिवादीगण में से प्रत्येक, जहां एक से अधिक हैं, वाद के प्रारंभ के समय, वास्तव में और स्वेच्छा से निवास करता है, या व्यवसाय करता है, या व्यक्तिगत रूप से लाभ के लिए काम करता है; या
>
> (ख) प्रतिवादीगण में से कोई, जहाँ एक से अधिक हों, वाद के प्रारम्भ के समय वास्तव में तथा स्वेच्छा से निवास करता हो, या व्यवसाय करता हो, या व्यक्तिगत रूप से लाभ के लिए काम करता हो, बशर्ते कि ऐसे मामले में या तो न्यायालय की अनुमति हो, या प्रतिवादीगण जो निवास नहीं करते हो, या व्यवसाय नहीं

करते हो, या व्यक्तिगत रूप से लाभ के लिए काम नहीं करते हों, ऐसी संस्था में सहमति दे दें; या

(ग) वाद हेतुक, पूर्णतः या अंशतः, उत्पन्न होता है।

स्पष्टीकरण -- निगम को भारत में अपने एकमात्र या प्रधान कार्यालय में या किसी ऐसे स्थान पर उत्पन्न होने वाले वाद के कारण के सम्बन्ध में, जहाँ उसका अधीनस्थ कार्यालय भी हो, ऐसे स्थान पर व्यवसाय करने वाला समझा जाएगा।

दृष्टांत

(क) क कलकत्ता में एक व्यापारी है। ख दिल्ली में व्यवसाय करता है। ख कलकत्ता में अपने अभिकर्ता के माध्यम से क का माल खरीदता है और क से उसे ईस्ट इंडियन रेलवे कम्पनी को सौंपने का अनुरोध करता है। क तदनुसार कलकत्ता में माल सौंपता है। माल की कीमत के लिए क, ख पर या तो कलकत्ता में वाद कर सकता है, जहाँ वाद हेतुक उत्पन्न हुआ है, या दिल्ली में, जहाँ ख व्यवसाय करता है।

(ख) क शिमला में रहता है, ख कलकत्ता में और ग दिल्ली में। क, ख और ग बनारस में एक साथ रहते हैं, ख और ग माँग पर देय एक संयुक्त वचन पत्र बनाते हैं और उसे क को सौंप देते हैं। क, ख और ग पर बनारस में वाद कर सकता है, जहाँ वाद हेतुक उत्पन्न हुआ है। वह उन पर कलकत्ता में भी वाद कर सकता है, जहाँ ख रहता है, या दिल्ली में, जहाँ ग रहता है; लेकिन इनमें से प्रत्येक मामले में, यदि अनिवासी प्रतिवादी आपत्ति करता है, तो न्यायालय की अनुमति के बिना वाद आगे नहीं बढ़ सकता है।"

6. सि.प्र.स. की धारा 20 का स्पष्टीकरण, जिस पर वादी के अधिवक्ता ने भरोसा करने की मांग की है, दो स्थितियों को ध्यान में रखता है। स्पष्टीकरण का पहला भाग उस स्थिति से संबंधित है, जहां निगम के

पास केवल एकमात्र या मुख्य कार्यालय है। ऐसी स्थिति में, जाहिर है कि जिस स्थान पर निगम का एकमात्र या मुख्य कार्यालय स्थित है, उसका क्षेत्राधिकार होगा। इसके विपरीत, स्पष्टीकरण का दूसरा भाग उस स्थिति से संबंधित है, जिसमें कार्रवाई का कारण उस स्थान पर उत्पन्न होता है, जहां निगम की शाखा/अधीनस्थ कार्यालय है, और धारा 20 के स्पष्टीकरण के अनुसार, ऐसे स्थान पर न्यायालय, जहां अधीनस्थ कार्यालय स्थित है, के पास ही वाद पर विचार करने का प्रादेशिक क्षेत्राधिकार होगा।

7. यद्यपि वादी के अधिवक्ता ने न्यायालय को यह समझाने का अथक प्रयास किया कि वादी का मामला स्पष्टीकरण के प्रथम भाग के अंतर्गत आएगा, क्योंकि प्रतिवादी का मुख्य कार्यालय दिल्ली में स्थित है, इसलिए दिल्ली की न्यायालय का प्रादेशिक क्षेत्राधिकार होगा, मेरे विचार में, वादी का यह तर्क त्रुटिपूर्ण और अनुचित है। मेरे विचार से, धारा 20 के स्पष्टीकरण का उत्तरवर्ती भाग वर्तमान मामले पर पूरी तरह लागू होता है, क्योंकि कार्रवाई का कारण उदयपुर में उत्पन्न हुआ है, जहां प्रतिवादी का शाखा/अधीनस्थ कार्यालय स्थित है और इसलिए, उदयपुर की न्यायालय का क्षेत्राधिकार होगा।

8. ***पटेल रोडवेज लिमिटेड बॉम्बे बनाम प्रसाद ट्रेडिंग कंपनी,*** (1991) 3 एससीआर 91 के मामले में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने इसी तरह

की दलील पर विचार किया था। इसमें निम्न प्रकार से निर्णय दिया गया:

> *"यह स्पष्टीकरण प्रतिवादी पर लागू होता है जो एक निगम है, जिसमें, जैसा कि ऊपर देखा गया है, इस मामले में अपीलार्थी जैसी कंपनी भी शामिल होगी। स्पष्टीकरण का पहला भाग केवल ऐसे निगम पर लागू होता है जिसका एकमात्र या मुख्य कार्यालय किसी विशेष स्थान पर है। उस स्थिति में, जिन न्यायालयों के क्षेत्राधिकार में प्रतिवादी का एकमात्र या मुख्य कार्यालय स्थित है, उनका भी क्षेत्राधिकार होगा, क्योंकि भले ही प्रतिवादी वास्तव में उस स्थान पर व्यवसाय नहीं कर रहा हो, लेकिन स्पष्टीकरण द्वारा बनाई गई कल्पना के कारण उसे उस स्थान पर व्यवसाय करते हुए माना जाएगा। स्पष्टीकरण का उत्तरवर्ती भाग ऐसे मामले का ध्यान रखता है जहां प्रतिवादी का एकमात्र कार्यालय नहीं है, बल्कि एक स्थान पर उसका मुख्य कार्यालय है और दूसरे स्थान पर उसका अधीनस्थ कार्यालय भी है। स्पष्टीकरण के अंत में आने वाले शब्द "ऐसे स्थान पर" और ऊपर उल्लिखित शब्द "या" जो कि विभाजक है, स्पष्ट रूप से यह सुझाव देते हैं कि यदि मामला स्पष्टीकरण के उत्तरवर्ती भाग में आता है तो यह वह न्यायालय नहीं है जिसके क्षेत्राधिकार में प्रतिवादी का मुख्य कार्यालय स्थित है, बल्कि वह न्यायालय है जिसके क्षेत्राधिकार में उसका अधीनस्थ कार्यालय है, जिसे अकेले ही "किसी ऐसे स्थान पर उत्पन्न होने वाले किसी भी वाद के कारण के संबंध में क्षेत्राधिकार होगा जहां उसका अधीनस्थ कार्यालय भी है।"*

9. *न्यू मोगा ट्रांसपोर्ट कंपनी बनाम यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड एवं अन्य,* 2004 4 एससीसी 677 के मामले में भी इसी

प्रकार का विचार व्यक्त किया गया है। निर्णय का प्रासंगिक भाग इस प्रकार है:-

"10. सि.प्र.स. की धारा 20 के स्पष्टीकरण को सरलता से पढ़ने पर यह स्पष्ट है कि स्पष्टीकरण में दो भाग हैं: (i) "भारत में कार्यालय" शब्दों और "के संबंध में" शब्दों के बीच आने वाले "या" शब्द से पहले, और (ii) उसके बाद दूसरा। स्पष्टीकरण प्रतिवादी पर लागू होता है जो एक निगम है, जिसमें कंपनी भी शामिल होगी। स्पष्टीकरण का पहला भाग केवल ऐसे निगम पर लागू होता है जिसका एकमात्र या मुख्य कार्यालय किसी विशेष स्थान पर है। ऐसी स्थिति में, जिस न्यायालय के क्षेत्राधिकार में कंपनी का एकमात्र या मुख्य कार्यालय स्थित है, उसका भी क्षेत्राधिकार होगा, क्योंकि भले ही प्रतिवादी वास्तव में उस स्थान पर व्यवसाय नहीं कर रहा हो, लेकिन स्पष्टीकरण द्वारा बनाई गई कल्पना के कारण उसे उस स्थान पर व्यवसाय करते हुए माना जाएगा। स्पष्टीकरण का उत्तरवर्ती भाग ऐसे मामले का ध्यान रखता है, जहां प्रतिवादी का एकमात्र कार्यालय नहीं है, बल्कि एक स्थान पर उसका मुख्य कार्यालय है और दूसरे स्थान पर उसका अधीनस्थ कार्यालय भी है। स्पष्टीकरण में आने वाला अभिव्यक्ति "ऐसे स्थान पर" और शब्द "या" जो कि विच्छेदक है, स्पष्ट रूप से सुझाव देता है कि यदि मामला स्पष्टीकरण के उत्तरवर्ती भाग में आता है, तो यह वह न्यायालय नहीं है, जिसके क्षेत्राधिकार में प्रतिवादी का मुख्य कार्यालय स्थित है, बल्कि वह न्यायालय है, जिसके क्षेत्राधिकार में उसका अधीनस्थ कार्यालय है, जिसके पास अकेले ही किसी ऐसे स्थान पर उत्पन्न होने वाले किसी भी वाद हेतुक के संबंध में क्षेत्राधिकार है, जहां उसका अधीनस्थ कार्यालय भी है।"

10. इस न्यायालय के एकल न्यायाधीश ने *एनटीपीसी [महाप्रबंधक] एवं अन्य बनाम लेफ्टिनेंट कर्नल ए.पी.सिंह (सेवानिवृत्त) एवं अन्य,* 156 (2009) डीएलटी पृष्ठ 572 मामले में भी निम्नानुसार निर्णय दिया है:-

> *"9. इस प्रकार यह स्पष्ट है कि जहां वाद हेतुक अधीनस्थ कार्यालय के क्षेत्राधिकार में होता है, वहां केवल उस स्थान पर स्थित न्यायालय ही वाद ला सकता है। इसलिए, मैं समझता हूं कि विचारण न्यायालय ने गलत निष्कर्ष निकाला कि दिल्ली स्थित न्यायालय के पास क्षेत्राधिकार है। वर्तमान मामले में, संविदा में विशेष रूप से प्रावधान किया गया था कि भागलपुर स्थित न्यायालय के पास क्षेत्राधिकार होगा। संपूर्ण वाद हेतुक भागलपुर के भीतर हुआ था।"*

11. वादी के अधिवक्ता ने अपने तर्क के समर्थन में *सुनील गोयल बनाम ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड,* 154(2008) डीएलटी 1 का उद्धरण दिया है कि निगम को अपने मुख्य कार्यालय में व्यवसाय करने वाला माना जाएगा और इसलिए, मुख्य कार्यालय जिस प्रादेशिक क्षेत्राधिकार में स्थित है, उसके न्यायालयों को मामले पर विचार करने का अधिकार होगा।

12. सर्वोच्च न्यायालय द्वारा स्थापित कानून को ध्यान में रखते हुए, वादी के अधिवक्ता द्वारा इस न्यायालय के एकल न्यायाधीश के निर्णय पर भरोसा किया गया, जो वादी के लिए कोई लाभ नहीं पहुंचा सकता है।

13. जैसा कि ऊपर बताया गया है, वादी उदयपुर में अपना व्यवसाय कर रहा है। बीमा पॉलिसी वादी ने उदयपुर में प्राप्त की थी। दावे का विवरण वादी ने प्रतिवादी के उदयपुर कार्यालय में दाखिल किया था। यह भी ध्यान देने योग्य है कि वादी की समझ के अनुसार भी, उदयपुर न्यायालय सक्षम क्षेत्राधिकार वाला न्यायालय था, जो इस तथ्य से स्पष्ट है कि राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग (एनसीडीआरसी) के समक्ष दायर याचिका को इस आधार पर खारिज कर दिए जाने के बाद कि इसमें जटिल प्रश्न उठाए गए हैं, वादी ने उदयपुर स्थित राज्य आयोग का सहारा लिया।

14. इसके अतिरिक्त, वादी ने जोधपुर की न्यायालय में मध्यस्थता एवं सुलह अधिनियम, 1996 की धारा 11 के तहत एक याचिका भी दायर की। वादी के विद्वान अधिवक्ता का यह तर्क कि दावे को प्रधान कार्यालय ने खारिज कर दिया था और विद्वान अधिवक्ता द्वारा जिस सूचना पर भरोसा करने की मांग की गई थी, वह वादी के लिए कोई लाभ नहीं पहुंचा सकता क्योंकि दिनांक 18.09.2001 का पत्र उदयपुर स्थित शाखा कार्यालय द्वारा जारी किया गया है, हालांकि शीर्षनामा से पता चलता है कि कंपनी का प्रधान कार्यालय नई दिल्ली में स्थित है। केवल इसलिए कि प्रधान कार्यालय ने वादी के दावे पर कार्रवाई की या

नई दिल्ली से एक सर्वेक्षक नियुक्त किया गया, यह अपने आप में नई दिल्ली की न्यायालय को क्षेत्राधिकार प्रदान नहीं करेगा।

15. चूंकि इस न्यायालय के प्रादेशिक क्षेत्राधिकार के भीतर वाद हेतुक का कोई हिस्सा उत्पन्न नहीं हुआ है और सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित स्थापित कानून को ध्यान में रखते हुए, मुद्दा सं. 2 जो प्रारंभिक मुद्दा है, वादी के खिलाफ तय किया जाता है। परिणामस्वरूप, वादपत्र वादी को वापस लौटा दिया जाएगा, तथा उसे वादी को वापस लौटाए जाने के चार सप्ताह के भीतर अधिकारिता वाले सक्षम न्यायालय में दायर किया जाएगा।

न्या. जी.एस. सिस्तानी

12 मार्च, 2014 **'एसएन/एसएसएन'**

(Translation has been done through AI Tool: SUVAS)

अस्वीकरण : *देशी भाषा में निर्णय का अनुवाद मुकद्दमेबाज़ के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा| समस्त कार्यालयी एवं व्यावहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेज़ी स्वरूप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।*